राजस्थान–सरकार

कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान, अजमेर

क्रमांक :– एफ–4(300) स्टाम्प/ई–स्टाम्प./ 5034 दिनांकः– 15-11-19

–: परिपत्र :–

विषयः– राज्य में नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प हेतु ई–स्टेम्पिंग सिस्टम से प्राप्त स्टाम्प ड्यूटी का सत्यापन करने के क्रम में।

सम्पूर्ण राज्य में नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्पों के "ई–स्टाम्प सिस्टम" हेतु स्टॉक हाल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लि. (SHCIL) एवं राज्य सरकार के मध्य सभी मूल्य वर्गों के ई–स्टेम्प्स विक्रय हेतु अनुबंध किया जाकर SHCIL द्वारा एक्सटेंशन काउन्टर्स तथा उनके द्वारा नियुक्त ACC के माध्यम से ई–स्टाम्पिंग का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। इस सम्बंध में निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिये जाते है।

1. **ई–स्टाम्प जारी करना एवं सत्यापनः–** SHCIL के प्रतिनिधि द्वारा "ई–स्टाम्पिंग" के तहत् जारी स्टाम्पस् में सर्टिफिकेट नम्बर, दिनांक, क्रेता–विक्रेता का नाम, सम्पत्ति का विवरण, राशि आदि की स्थिति मुद्रित की जायेगी। SHCIL द्वारा संग्रहित राशि में से रेमूनरेशन राशि काटकर शेष राशि T+1 (T+1 working day) आधार पर एक मुश्त राशि राजकोष में जमा कराई जावेगी। देरी से राशि राज्यकोष में जमा कराये जाने पर 12% वार्षिक ब्याज वसूली योग्य होगा। अनुबंध के सर्विस लेवल एग्रीमेंट के क्लॉज संख्या 12 में दर्शाई गई तालिका के प्रारूप में गत माह की सूचना प्रत्येक माह की 5 तारिख तक मुख्यालय अजमेर एवं उपमहानिरीक्षक जयपुर –प्रथम कार्यालय को SHCIL द्वारा प्रेषित की जावेगी।

   1.1 SHCIL द्वारा जिन दस्तावेजों पर "ई–स्टाम्पिंग" किया जाता है, उन दस्तावेजों को उप – पंजीयक द्वारा स्वीकार किये जाने पर, जमा राशि के सत्यापन का दायित्व उप– पंजीयक का होगा।

   1.2 "ई–स्टाम्पिंग" किये गये दस्तावेजों का अंकन एक रजिस्टर में निम्न पेशानी में इंद्राज पूर्ण किया जायेगा।

क्र. स.	दस्तावेज संख्या दिनांक	क्रेता / विक्रेता का नाम	दस्तावेज का विवरण	ACC का नाम	ई–स्टाम्पिंग सर्टिफिकेट			रीडर के लघु हस्ताक्षर	उप पंजीयक के लघु हस्ताक्षर
					संख्या	दिनांक	राशि		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

   1.3 ई–स्टाम्प रजिस्टर में अंकित विवरण अनुसार कुल योग का स्टेटमेंट वृत कार्यालय को अगले माह की 5 तारीख तक भिजवाई जावेगी। वृत कार्यालय द्वारा उप–पंजीयक कार्यालयों से प्राप्त विभाग के रिपोर्ट को इकजाई कर, उप महानिरीक्षक, जयपुर–प्रथम को प्रति माह 10 तारीख से पूर्व प्रेषित की जायेगी, जिसकी एक प्रति मुख्यालय की स्टाम्प शाखा को भी प्रेषित करेंगे।

2. **स्टॉक हाल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लि. (SHCIL) द्वारा जारी ई–स्टाम्प को उप–पंजीयक द्वारा लॉक किया जानाः–** दस्तावेजों के साथ संलग्न ई–स्टाम्प सर्टिफिकिट को उप–पंजीयक द्वारा प्रस्तुतीकरण पर आवश्यक जांच कर पंजीयन योग्य पाये जाने पर तत्काल लॉक किया जायेगा तथा लॉक किये गये दस्तावेज ही पंजीबद्ध होंगें ताकि ई–स्टाम्प का पुनः उपयोग नहीं हो सके। किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती जावें। अनलॉक ई–स्टाम्प का पुनः उपयोग होने पर राजस्व हानि होना सम्भावित है। ऐसा प्रकरण ध्यान में आने पर सम्बंधित उप–पंजीयक के विरूद्ध राज्य सरकार को हानि पहूँचाने के क्रम में अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

3. **विभागीय सर्वर से ई–स्टाम्प का डेटा प्राप्त किया जानाः–** विभागीय सर्वर पर प्राप्त ई–स्टाम्प जारी होने की दैनिक सूचना अंक मिलान शाखा द्वारा login/Password के माध्यम से निकाली जायेगी एवं दिनांक वार एवं माहवार संकलित की जायेगी। SHCIL द्वारा माह की समाप्ति उपरान्त आगामी माह की 5 तारिख तक निर्धारित प्रारूप में दैनिक व मासिक सूचना मुख्यालय अजमेर एवं उप महानिरीक्षक, जयपुर–प्रथम को दी जायेगी जिसका मुख्यालय पर उपलब्ध आंकड़ो से अंक मिलान शाखा द्वारा दैनिक एवं मासिक सूचना से मिलान किया जायेगा तथा उपमहानिरीक्षक जयपुर प्रथम द्वारा उनके यहॉ प्रस्तुत जमा राशि के चालानों से मिलान किया जायेगा।

4. **SHCIL द्वारा ई–स्टाम्प की राशि राजकोष में जमा कराना** :– SHCIL द्वारा जारी किये गये ई–स्टाम्प की राशि T+1 दिवस में राजकोष में जमा कराई जायेगी। SHCIL द्वारा प्रतिदिन जमा कराई जाने वाली राशि का चालान उप महानिरीक्षक, जयपुर–प्रथम के नाम जनरेट कर बैंक में राशि जमा कराई जायेगी, जिसकी एक प्रति उप महानिरीक्षक, जयपुर–प्रथम को उसी दिन प्रस्तुत करनी होगी। उपमहानिरीक्षक जयपुर–प्रथम द्वारा राजस्व जमा चालान हेतु चालान रजिस्टर संधारित किया जायेगा। SHCIL द्वारा राजकोष में जमा कराई गयी राशि जमा कराई गई राशि के चालान की प्रति प्राप्त होने पर उप महानिरीक्षक जयपुर–प्रथम चालान में अंकित राशि की प्रत्येक प्रविष्ठि का विवरणनुसार राजकोष में जमा राशि एवं बजट शीर्ष का सत्यापन ई–ग्रास साईट पर जाकर करायेंगें तथा जमा चालान को नियमानुसार डिफेस करेंगें। नियमित मासिक सूचना ई–स्टाम्प की राशि जमा कराने की अवधि अथवा बजट शीर्ष में कोई विचलन होगा तो उपमहानिरीक्षक जयपुर–प्रथम द्वारा तत्काल मुख्यालय एवं SHCIL को सूचित किया जायेगा। उपमहानिरीक्षक जयपुर प्रथम द्वारा चालानो के विवरण का मिलान करने के बाद मुख्यालय को प्रेषित प्रतिलिपि से मुख्यालय की अंकमिलान शाखा उनके द्वारा संधारित विभागीय सर्वर से प्राप्त सूचना एवं SHCIL द्वारा प्रेषित सूचना से मिलान करेगी एवं लेखा शाखा महालेखाकार कार्यालय से अंकमिलान कर विभागीय आय निर्णित करेगी।

   4.1 स्टॉक हाल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लि. (SHCIL) द्वारा प्रतिमाह एक विवरण पत्र उपमहानिरीक्षक जयपुर प्रथम को प्रस्तुत किया जायेगा जिसमें उनके द्वारा दिनांक वार नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प की ई–स्टाम्पिंग की सम्पूर्ण प्राप्तियों, इसमें से अनुबंध के अनुसार 0.55 प्रतिशत की दर से मानदेय (रेमूनरेशन) की काटी गई राशि तथा राजकोष में जमा की दिनांक एवं राशि अंकित होगी। उपमहानिरीक्षक जयपुर प्रथम कटौती की गई मानदेय (रेमूनरेशन) व जमा राशि का मिलान/गणना की जांच कर विवरण को प्रमाणित करते हुए मुख्यालय को भेजेंगें। स्टॉक हाल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लि. (SHCIL) द्वारा काटे गये मानदेय (रेमूनरेशन) की राशि में से आयकर की निर्धारित दर से स्त्रोत पर कटौती (TDS) का चालान राजकोष में जमाकर विवरण में अंकित करते हुए चालान की प्रति इस विवरण के साथ संलग्न की जायेगी। उपमहानिरीक्षक जयपुर प्रथम कार्यालय स्तर पर उपरोक्तानुसार समस्त रिकॉर्ड एवं पत्रावली संधारित की जायेगी।

5. समस्त उप पंजीयक व उपमहानिरीक्षक इन निर्देशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित करेंगें। अतिरिक्त महानिरीक्षक (प्रशासन) जयपुर, उपमहानिरीक्षकगण, जांच दल व मुख्यालय के अधिकारीगण निरीक्षण कार्य के दौरान "ई स्टाम्पिंग" से प्राप्त दस्तावेजों एवं जमा राशि के सत्यापन की पालना के सम्बंध में आश्वस्त होंगे।

(हस्ताक्षर) 15/11/19
महानिरीक्षक
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग
राजस्थान अजमेर।

क्रमांक :– एफ–4(300) स्टाम्प/ई–स्टाम्प./ 5035–5635 दिनांकः– 15-11-19

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (कर) विभाग, राजस्थान जयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

प्रतिलिपि निम्न को पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

2. अतिरिक्त महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग अजमेर।
3. अतिरिक्त महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, "वित्त भवन" जयपुर।
4. समस्त उप महानिरीक्षकगण, वृत ....
5. समस्त उपपंजीयक ....
6. अतिरिक्त निदेशक, कम्प्यूटर, मुख्यालय अजमेर को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय सर्वर से SHCIL के सर्वर का लिंक होना तथा SHCIL द्वारा जारी दस्तावेजों का सम्पूर्ण डाटा विभागीय सर्वर पर उपलब्ध हो रहा है, की सुनिश्चितता की जाये। साथ ही login/Password प्राप्त कर लेखा शाखा एवं स्टाम्प शाखा को उपलब्ध करावें।
7. प्रभारी अधिकारी "स्टाम्प/सांख्यिकी/अंकमिलान/कम्प्यूटर शाखा मुख्यालय अजमेर।
8. स्टॉक हाल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लि. (SHCIL), जयपुर।

(हस्ताक्षर) 15/11/19
महानिरीक्षक
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग
राजस्थान अजमेर।